न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 357 सन 2020

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. हरिराम पुत्र उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. शान्ति पुत्री उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मनीराम गोदारा अधिवक्ता वादी

सरकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/9/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 48/47 में मीरा के नाम 69/2773 हिस्सा खाता संख्या 227/9 में मीरा के नाम 11/30 हिस्सा , खाता संख्या 75/80 में 687/21992 हिस्सा व इसी खाता में वादी के पिता उदाराम के नाम 1265/21992 व 215/217 हिस्सा मीरा के नाम दर्ज है व खाता संख्या 216/218 में 6343/54250 हिस्सा मीरा के नाम से दर्ज है

वाद भूमि माता मीरा पत्नि उदाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी माता है वादी की माता मीरा पत्नि उदाराम देहान्त हो चुका है मीरा पत्नि उदाराम का देहान्त हो चुका है मीरा पत्नि उदाराम के जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र पत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है

वादी की माता मीरा पत्नि उदाराम के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो मीरा पत्नि उदाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकोर्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी की बहने मृतक मीरा पत्नी उदाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि मीरा पत्नि उदाराम के नाम से दर्ज है जो वादी की माता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो मीरा पत्नि उदाराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे इकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा [illegible] खाता संख्या 48/47 मे मीरा के नाम 69/2773 हिस्सा खाता संख्या 227/9 मे मीरा के नाम 11/80 हिस्सा, खाता संख्या 75/80 मे 687/21992 हिस्सा व इसी खाता मे वादी के पिता उदाराम के नाम 1265/21992 व 215/217 हिस्सा मीरा के नाम दर्ज है व खाता संख्या 216/218 मे 6343/54250 हिस्सा मीरा के नाम से दर्ज है

वाद भूमि माता मीरा [illegible] के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज जो वादी माता है वादी की माता मीरा पत्नि [illegible] का देहान्त हो चुका है मीरा पत्नि उदाराम [illegible] उसके पुत्र पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है

वादी की माता मीरा पत्नि उदाराम का देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो मीरा पत्नि उदाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड कराने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी की बहने मृतक मीरा पत्नी उदाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है राजस्व रिकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध मे कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बंध मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 616 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों [illegible] अतः डिक्री का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 48/47 मे मीरा के नाम 69/2773 हिस्सा खाता संख्या 227/9 मे मीरा के नाम 11/80 हिस्सा, खाता संख्या 75/80 मे 687/21992 हिस्सा व इसी खाता मे वादी के पिता उदाराम के नाम 1265/21992 व 215/217 हिस्सा मीरा के नाम दर्ज है व खाता संख्या 216/218 मे 6343/54250 हिस्सा मीरा के नाम से दर्ज है

जमाबन्दी वर्तमान रोही मौजा मेघाना के अनुसार वाद भूमि मीरा पत्नि [illegible] के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी माता मीरा पत्नी उदाराम के नाम से दर्ज है जिनका

अध्यक्ष अधिकारी
[illegible]

Scanned with CamScanner

देहान्त हो चुका है मीरा पत्नि उदाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से साबित है अर्थात मीरा पत्नि उदाराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से वाद भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज. का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 48/47 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में मीरा पत्नी उदाराम के नाम 69/2773 हिस्सा दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी व खाता संख्या 227/9 में मीरा के नाम 11/80 हिस्सा दर्ज है में मीरा का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व, खाता संख्या 216/218 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में मीरा के नाम 6343/34250हैक दर्ज है में मीरा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब खाता संख्या 75/80 में मीरा के नाम 687/21992 हिस्सा दर्ज में मीरा का नाम कलमतजन किया जाकर वादी व इसी खाता में वादी के पिता उदाराम के नाम 1265/21992 व खाता संख्या 215/217 में मीरा के नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हरिराम पुत्र उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. शान्ति पुत्री उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री उदाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 357 सन 2020 निर्णय दिनांक– 4/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 48/47 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में मीरा पत्नी उदाराम के नाम 69/2773 हिस्सा दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी व खाता संख्या 227/9 में मीरा के नाम 11/80 हिस्सा दर्ज है में मीरा का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व, खाता संख्या 216/218 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में मीरा के नाम 6343/34250हैक दर्ज है में मीरा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब खाता संख्या 75/80 में मीरा के नाम 687/21992 हिस्सा दर्ज में मीरा का नाम कलमतजन किया जाकर वादी व इसी खाता में वादी के पिता उदाराम के नाम 1265/21992 व खाता संख्या 215/217 में मीरा के नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner